भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।
राजस्व न्यायालय
नामांतरण अपील वाद संख्या–11/2015–16

आवेदक		
(1) चमरू कसेरा (2) शंकर प्रसाद कसेरा उर्फ शंकर कसेरा, दोनों के पिता–श्री तिलक साव कसेरा उर्फ तिलक कसेरा, निवासी–वार्ड नं0–07(पुराना) 04(नया), कुम्हार टोली, बड़ा काली मंदिर के सामने, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम।	बनाम्	श्रीमति रूपा कुमारी, पति–विरेन्द्र प्रसाद, निवासी–वार्ड नं0–07(पुराना) 04(नया), कुम्हार टोली, बड़ा काली मंदिर के सामने, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम।

<table>
<tr><th>आदेश की तिथि</th><th>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ</th></tr>
<tr><td>09.03.2022</td><td>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक (1) चमरू कसेरा (2) शंकर प्रसाद कसेरा उर्फ शंकर कसेरा, दोनों के पिता–श्री तिलक साव कसेरा, उर्फ तिलक कसेरा, निवासी–वार्ड नं0–07(पुराना) 04(नया), कुम्हार टोली, बड़ा काली मंदिर के सामने, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा इस न्यायालय में नामांतरण अपील वाद संख्या–11/2015–16, दिनांक–07.10.2015 को दायर किया गया है, जिसमें श्रीमति रूपा कुमारी, पति–विरेन्द्र प्रसाद, निवासी–वार्ड नं0–07(पुराना) 04(नया), कुम्हार टोली, बड़ा काली मंदिर के सामने, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया गया है।

<u>भूमि का विवरणी</u>
<table><tr><th>मौजा</th><th>थाना नं0</th><th>खाता नं0</th><th>प्लॉट नं0</th><th>रकवा</th></tr><tr><td>जोगीबेड़ा</td><td>77</td><td>04</td><td>158</td><td>0.94.000 ए0</td></tr></table>
दिनांक–09.03.2022 को सुनवाई के दौरान अपीलार्थी संख्या–(1) न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय में अपीलार्थी संख्या–(2) के साथ संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र दाखिल कर आवेदन पत्र में बताया गया कि प्रतिवादी के साथ परिवार के सदस्यों के उपस्थिति में मैत्रिपूर्ण वातावरण में उक्त भूमि विवाद का निपटारा हो चूका है। अपीलार्थीगण</td><td></td></tr>
</table>

द्वारा आवेदन पत्र में बताया गया है कि वर्तमान में प्रतिवादी के साथ उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वर्तमान में विवाद नहीं है।

अपीलार्थी संख्या–(2) शंकर प्रसाद कसेरा उर्फ शंकर प्रसाद कैंसर रोग से पिड़ित रहने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ परन्तु आवेदन पत्र पर इनका भी हस्ताक्षर है साथ ही इनके द्वारा पेन ड्राईव में विडियोग्राफी न्यायालय में समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि इस वाद में वे अपीलार्थी एवं इस वाद को वापस लेना चाहते हैं।

उक्त के आलोक में अपीलार्थीगणों द्वारा इस अपील वाद की कार्यवाही को समाप्त करने का न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थीगणों के आवेदन पत्र के आलोक में इस नामांतरण अपील वाद में गुण–दोष पर विवेचन किए बिना ही इस नामांतरण अपील वाद को समाप्त की जाती है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Digitally signed by REENA HANSDAK
Date: 2023.01.17 16:14:54 +05:30
Location: 192.168.1.39